HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 1,500/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04.02.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा “पुलिस मुठभेड़” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 03.03.2016 को हाफिजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अनीश उर्फ हकीम पुत्र शेरदीन उर्फ इस्लाम निवासी ग्राम ढवारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को बाद पुलिस मुठभेड़ मय फर्जी नम्बर प्लेट लगी टाटा-407 गाड़ी के गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मु0अ0सं0 65/2016 धारा 307, 420 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 21.03.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 04.02.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजी-प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,500/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द शर्मा (ए.डी.जी.सी) व विवेचक व0उ0नि0 श्री विनय कुमार एवं पैरोकार है0का0 पुष्पेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर म0 है0का0 अंजू का विशेष योगदान रहा।